मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 192
01.12.2025 को उत्तर के लिए

एनटीसीए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन

192. श्री हरीश चंद्र मीना :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटक वाहनों की सफारी का समय मई, 2025 में बढ़ा दिया गया था और बाघों को कृत्रिम रोशनी में दिखाया गया था जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिपोर्टों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सफारी के समय, कृत्रिम रोशनी और टाइगर रिजर्व में गाडियों की पहुंच के लिए एनटीसीए के दिशानिर्देशों को लागू करने की मौजूदा स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मई 2025 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटक वाहनों के लिए सफारी का समय नहीं बढ़ाया गया था।

(ख) और (ग): पर्यटन कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए स्थापित मानक) दिशा-निर्देश, 2012 का अनुपालन करने का परामर्श दिया गया है।

*****